हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11th अप्रैल, 2013

संख्या वैब 2 /ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2013 . – हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. यह नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;–

"42. वापसी का अनुमोदन.– निम्नलिखित प्राधिकारी एकल आदेश से उत्पन्न प्रत्येक के सामने वर्णित राशि की वापसी का अनुमोदन करने के लिए सक्षम होंगे :–

1.	मुख्यालय में तैनात विभाग की और से तीन वरिष्ठतम् अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से मिलकर बनी समिति तथा सदस्य सचिव के रुप में संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (कर)। तीन अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से वरिष्ठतम् अध्यक्ष होगा।	पच्चीस लाख रूपये से अधिक
2.	रेंज का भारसाधक अधिकारी	पच्चीस लाख रूपये तक
3.	जिले का भारसाधक अधिकारी	दस लाख रूपये तक
4.	आबकारी तथा कराधान अधिकारी या सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी	एक लाख रूपये तक

निम्नतर प्राधिकारी/प्राधिकारियों व्ययगत ब्याज के बिना वापसी जारी करने के लिए विहित समय से पूर्व कम से कम तीस दिन में सक्षम प्राधिकारी को अपना/अपनी सिफारिश (सिफारिशों)

सहित समुचित स्तर पर मामले का अभिलेख प्रस्तुत करेगा/करेंगें तथा सक्षम प्राधिकारी उचित समय पर निम्नतर प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अपना निर्णय सूचित करेगा। वह लिखित में आदेश द्वारा वापसी की राशि को बढ़ा या घटा सकता है या आदेश कर सकता है कि कोई वापसी देय नहीं है किन्तु कोई प्रतिकूल आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।

पच्चीस लाख रूपये से ज्यादा वापसी के अनुमोदन के प्रयोजन हेतु गठित समिति क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे गए वापसी के मामलों का निर्णय करने हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।"।

राजन गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।